बीकानेर षड्यंत्र केस

*मधुलिका सांकृत्य
**डॉ. प्रमिला सांघवी

शोध सारांश

प्रथम गोलमेज सम्मेलन के असफल हो जाने पर 7 सितम्बर से 1 दिसम्बर 1931 को लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, जिसमें महात्मा गाँधी, मदनमोहन मालवीय, सरोजनी नायडू आदि नेता कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए।[1] देशी राजाओं के प्रतिनिधि के रूप में बीकानेर महाराजा गंगासिंह ने भी इसमें भाग लिया था। महाराजा गंगासिंह नरेन्द्र–मंडल में संघशासन के समर्थक थे, परन्तु अपनी जनता को पूर्ण स्वायत्त शासन देने के लिए कभी भी तैयार न थे।[2] वे केवल आदर्शवाद की दुहाई देकर कांग्रेस के उच्च नेताओं का समर्थन प्राप्त करना चाहते थे। नरेन्द्र–मंडल में संघ शासन के प्रबल विरोधी हैदराबाद के नवाब के प्रतिनिधि सर अकबर हैदरी भी इसमें सम्मिलित हुए थे।[3]

'अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद्' ने भी इस सम्मेलन में अपना एक शिष्टमंडल भेजा था, जिसमें *'जन्मभूमि'* अखबार के संपादक अमृतलाल सेठ, सौराष्ट्र के बैरिस्टर चूड़कर और पूना के प्रोफेसर अभ्यंकर शामिल थे। शिष्टमंडल का मुख्य उद्देश्य देशी नरेशों के मुकाबले वहां की जनता के दृष्टिकोण को सदस्यों के सम्मुख प्रस्तुत करने का था।[4] महाराजा गंगासिंह ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पढ़ने के लिए आदर्शवाद से ओतप्रोत एक शानदार भाषण तैयार करवाया था, जिसमें अपने राज्य में स्थापित व्यवस्थापिका–सभा की तुलना राम–राज्य से करते हुए उसे शांति व अमन का राज्य बतलाया था।[5] श्रीसर्वहितकारिणी सभा के प्रमुख कार्यकर्त्ताओं को महाराजा के इस भाषण का पूर्वाभास था। अतः भाषण की वास्तविकता प्रकट करने के लिए उन्होंने उचित व वैध तरीके से *'बीकानेर दिग्दर्शन'* नामक 17–18 पृष्ठों की एक पुस्तिका तैयार की।[6] ध्यातव्य है कि यह पुस्तिका स्वामी गोपालदास के निर्देशन में सत्यनारायण सर्राफ व चन्दनमल बहड़ ने तैयार की थी। इसके निर्माण में अमृतलाल सेठ के अमूल्य सुझावों को भी ध्यान में रखा गया था। पुस्तिका में केवल तथ्य और आंकड़े ही थे।[7] कहीं भी महाराजा और उनके प्रशासन की आलोचना न थी। नवाब भोपाल के विरूद्ध भी ऐसी ही पुस्तिका वहां के कार्यकर्त्ताओं द्वारा तैयार की गई थी। पर उसमें आलोचना प्रमुख थी। अतैव महात्मा गाँधी ने उसे प्रचारित करने से रोक दिया था।[8]

जब महाराजा गंगासिंह गोलमेज सम्मेलन में भाषण देने के लिए खड़े हुए, तब महात्मा गाँधी की पूर्व स्वीकृति से प्रो. अभ्यंकर और बैरिस्टर चूड़कर आदि ने सम्मेलन के प्रतिनिधियों को उक्त पुस्तिका की प्रतिलिपियाँ दे दी।[9] गोलमेज सम्मेलन के अध्यक्ष लार्ड सैंकी ने वह पैम्पलेट बीकानेर नरेश के सामने ठीक उस समय प्रस्तुत किया; जब वह देशी राज्यों के भारतीय संघ में सम्मिलित होने के सम्बन्ध में ब्रिटिश योजना के समर्थन और निजाम हैदराबाद के दीवान सर अकबर हैदरी के विरोध में जोशीला भाषण दे रहे थे।[10] लार्ड सैंकी ने गंगासिंह को उक्त पैम्पलेट देने से पूर्व उस पर यह लिख दिया था कि 'बीकानेर शासक को इस पैम्पलेट में लिखी बातों का जवाब देना चाहिए।[11] महाराजा गंगासिंह ने उक्त पुस्तिका लेकर रख दी और अपना भाषण जारी रखा। सर अकबर हैदरी को यह अच्छा नहीं लगा और महाराजा को बीच में ही टोकते हुए उन्होंने कहा – 'कृपया पुस्तिका में दिये गये आंकड़ों और तथ्यों पर भी प्रकाश डालिये।'[12] सर अकबर हैदरी की बात सुनकर महाराजा गंगासिंह ने पुस्तिका को ध्यानपूर्वक देखा।

तथ्यों के खुलेआम प्रकाशन से वे स्तब्ध रह गये। उनके मस्तिष्क में इसकी बड़ी प्रतिक्रिया हुई और वे अपना शेष भाषण भी न पढ़ सके। अपने स्थान पर वे यह कहकर बैठ गये कि इसका उत्तर मेरे दीवान मनुभाई मेहता देंगे।[13] मनुभाई उत्तर देने के लिए खड़े हुए, इससे पूर्व ही सर अकबर हैदरी महाराजा गंगासिंह की तीखी आलोचना करते हुए कहने लगे –''यह रामराज्य है, जहां जनता के हित के लिए राजस्व का एक छोटा हिस्सा भी खर्च नहीं किया जाता है। संघ–शासन का समर्थन करने वाले महाराजा गंगासिंह अपनी प्रजा की भलाई के लिए क्या–क्या करते हैं, बता नहीं सके हैं और पुस्तिका देखकर इतने स्तब्ध रह गये हैं कि अपना लिखित भाषण भी पूरा न पढ़ सके।''[14] गंगासिंह सम्मेलन समाप्ति के पूर्व ही अस्वस्थ होने का बहाना बनाकर भारत आ गये। वे अपने राज्य में एक पत्ते का हिलना भी सहन नहीं कर सकते थे। फिर वे इस प्रकार का दुस्साहस कैसे बर्दाश्त करते। अतः उन्होंने पैम्पलेट तैयार करने में सहयोग देने वाले कार्यकर्ताओं को कठोर दण्ड देने का निश्चय किया।

इधर गोलमेज सम्मेलन की समाप्ति के पूर्व ही भारत में ब्रिटिश सरकार का दमनचक्र तेजी से घूमने लगा। गाँधी–इरविन समझौते का उल्लंघन करते हुए पं. नेहरू, पुरुषोत्तम दास टंडन आदि बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया गया। 4 जनवरी को सुबह महात्मा गाँधी व सरदार पटेल भी गिरफ्तार कर लिये गये। तमाम कांग्रेस कमेटियों तथा उनसे सम्बन्ध रखने वाली दूसरी संस्थाओं को गैर–कानूनी घोषित कर दिया गया। एक के बाद एक कठोर दमनात्मक आदेश निकाले गये। इस प्रकार की गतिविधियों से देशी राज्यों को भी दमन का प्रोत्साहन प्राप्त हुआ।

श्रीसर्वहितकारिणी सभा पर महाराजा गंगासिंह व उनके अधिकारियों की आँखें पहले से ही लगी हुई थी। चूरू के तत्कालीन नाजिम बी. पोचिया भी कार्यकर्ताओं को फंसाने की फिराक में थे। इसी समय सन् 1931 में बीकानेर राज्य में पंजाब से आयातित गेहूँ पर जबरदस्त चुंगी लगा दी गई और जनता को गंगानगर से आने वाला गेहूँ खरीदने के लिए विवश किया जा रहा था।[15] इसके विरोध में बीकानेर राज्य लेजिस्लेटिव कौंसिल के सदस्य सेठ मालचन्द कोठारी की अध्यक्षता में चूरू में 11 जनवरी 1932 को एक सार्वजनिक सभा हुई, जिसमें स्वामी गोपालदास मुख्यवक्ता थे।[16] सभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर महाराजा से जकात माफ करने की प्रार्थना की गई और एक शिष्टमंडल को बीकानेर महाराजा से मिलने देने की अनुमति भी चाही गई।[17] प्रस्ताव की एक प्रति महाराजा गंगासिंह की सेवा में तार द्वारा प्रेषित की गई। यह तार चूरू की एम. बी. हाईस्कूल के प्रधानाध्यापक ज्ञानचन्द ने लिखा था। इसके अतिरिक्त चूरू के सरदार विद्यालय के प्रधानाध्यापक सोहनलाल सेवग व मास्टर प्यारेलाल ने सभा की कार्यवाही की रिपोर्ट बनाकर स्वामीजी के भाषण सहित *'प्रिंसली इंडिया'* में प्रकाशनार्थ भेजी।[18]

तार पाकर महाराजा का गुस्सा एकदम बढ़ गया। मेजर मान्धातासिंह ने इसमें विशेष दिलचस्पी ली और विशेषाधिकार लेकर दलबल सहित चूरू आ गये।[19] अब पुलिस का दमनचक्र पूरी ताकत से चल पड़ा जिससे चूरू में आतंक सा छा गया। मेजर ने नगर के सेठ साहूकारों सहित स्वामी गोपालदास को काफी डराया–धमकाया। पुलिस अधिकारियों ने स्वामी गोपालदास, वैद्य भालचन्द्र शर्मा, महंत गणपतिदास, वैद्य शान्त शर्मा व मास्टर ज्ञानचन्द को गिरफ्तार करके बीकानेर भेज दिया। 13 जनवरी को खूबराम सर्राफ को भादरा में, सत्यनारायण सर्राफ को रतनगढ़ में व बदरीप्रसाद सरावगी तथा लक्ष्मीचन्द सुराणा को राजगढ़ में गिरफ्तार कर लिया गया। 15 जनवरी को चन्दनमल बहड़ को चूरू में गिरफ्तार कर लिया गया।[20]

बीकानेर राज्य में स्वतंत्रता–संग्राम के इन प्रमुख नायकों की गिरफ्तारियों का तीव्र विरोध हुआ। देश भर के प्रमुख समाचार–पत्रों में इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया गया। 27 जनवरी को चूरू स्थित श्रीसर्वहितकारिणी सभा की बारीकी से छानबीन की गई और पुलिस वहाँ का सारा रिकार्ड उठाकर ले गई। चूरू के सरदार विद्यालय के मास्टर प्यारेलाल व हैडमास्टर सोहनलाल को क्रमशः 29 फरवरी व 1 मार्च को गिरफ्तार कर लिया गया। सभी गिरफ्तार व्यक्तियों में से महंत गणपतिदास, वैद्य शान्त शर्मा व मास्टर ज्ञानचन्द को गिरफ्तारी के डेढ़ माह बाद

कड़ी चेतावनी देकर छोड़ दिया गया।[21]

जब महंत गणपतिदास चूरू पहुँचे तो पुलिस उनके मन्दिर के बाहर गश्त लगा रही थी। महन्तजी ने मन्दिर में प्रवेश कर रातों रात सारे कागजात जला डाले। दूसरे दिन सवेरे ही तहसीलदार जेठमल आचार्य मन्दिर की तलाशी लेने आ पहुँचे। शाम को 5 बजे तक मंदिर की तलाशी चलती रही। तलाशी के बाद महन्तजी को मन्दिर से निर्वासित कर मन्दिर जब्त कर लिया गया। उधर ज्ञानचंद व वैद्य शांत शर्मा भी चूरू से पलायन कर चुके थे। वैद्य शान्त शर्मा चूरू से कलकत्ता चले गये और वहाँ से *'एक बीकानेरी'* नामक पत्र के माध्यम से अभियुक्तों के प्रति जनमत बनाने के प्रयास में जुट गये।[22] इनके प्रयास से इस अभियोग को इतना प्रचार मिला कि संपूर्ण देश इससे परिचित हो गया।

उधर बीकानेर राज्य की पुलिस शेष सभी अभियुक्तों का 3 माह तक बराबर रिकार्ड लेती रही।[23] जबकि राज्य की ओर से ऐसी हिदायत थी कि कोई भी फौजदारी मुकदमा 6 सप्ताह से अधिक बकाया न निकले। इस बीच पुलिस अपने मुकदमे की तैयारी तो सभी साधनों से करती रही, किन्तु अभियुक्तों को किसी बाहरी वकील की सहायता न लेने दी गई। जबकि इससे पूर्व में अनेक मुकदमों में पैरवी के लिये बाहर से वकील आते रहे हैं।

इसके विरोध में देश भर में भारी आन्दोलन हुआ। अनेक संस्थाओं में बीकानेर सरकार के पास इस आशय के प्रस्ताव भेजे कि विचाराधीन अभियुक्तों को कम से कम राजनैतिक बंदियों को मिलने वाली कानूनी सुविधाएँ तो दी जाये। देश के प्रमुख नेताओं ने भी इस संबंध में शासक पर दबाव डाला। इस पर राज्य सरकार ने अभियुक्तों को स्थानीय वकील करने की अनुमति अवश्य दे दी किन्तु राज्य से बाहर के किसी वकील को उनकी पैरवी की इजाजत न दी गई।[24] पं. मदनमोहन मालवीय, भाई डॉ. मुंजे आदि की अपील पर महाराजा गंगासिंह ने हिसार के वकील पं. ठाकुरदास भार्गव को सत्यनारायण सर्राफ व खूबराम सर्राफ से राज्य के बड़े पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में मिलने की इजाजत दी गई।

इसी दौरान बीकानेर राज्य प्रशासन की ओर से 'पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1932' पारित किया गया जिसके अनुसार ऐसी पुस्तकों व समाचार–पत्रों पर रोक लगा दी गई, जिनमें राज्य सरकार के प्रति असंतोष की भावना भड़काने वाली ऐसी कोई सामग्री हो। राज्य प्रशासन की मंजूरी के बिना राज्य में सार्वजनिक सभाओं पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया गया। जनता ने इस एक्ट को काले कानून की संज्ञा दी।[25] सुजानगढ़ के नथमल ओझा अभियुक्तों के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हुए इस एक्ट के विरोध में सरेआम बोलने लगे तो पुलिस उन्हें बलात् पकड़कर ले गई। उनको कड़ी यातनाएँ दी गई तथा उन पर मुकदमा चलाकर 3 माह की सजा दी गई।

बीकानेर षड्यंत्र केस के सभी अभियुक्तों को पूरे तीन माह तक हवालात में बंद रखने के बाद 13 अप्रैल 1932 को उनके खिलाफ बीकानेर के जिला जज बाबू बृजकिशोर चतुर्वेदी की अदालत में इस्तगासा दायर हुआ। यह मुकदमा कुछ दिनों तक तो इस अदालत में चला, पर बाद में बीकानेर के केन्द्रीय कारागर के शोरुम में ही चलने लगा। यह मामला कुछ उसी प्रकार का था जैसे सरदार भगतसिंह व उनके साथियों पर चलाये गये षड्यंत्र केस के लिये लाहौर की बोस्टन जेल में विशेष अदालत लगती थी।[26] शीघ्र ही बीकानेर षड्यंत्र केस की ओर समूचे देश का ध्यान आकर्षित हो गया। सरदार के.एम. पन्निकर के अनुसार ''यह अपने ढंग का प्रथम मुकदमा था, जिसने अभूतपूर्व प्रसिद्धि प्राप्त की थी''।[27]

इस बीच देश भर में इस मुकदमे में अभियुक्तों के साथ सरकार द्वारा की जाने वाली ज्यादतियों के विरुद्ध सभाएं की गई, प्रस्ताव पास किये गये। प्रेस ने इस मुकदमे की ज्यादतियों का जमकर प्रचार किया। इनमें *'राजस्थान संदेश', 'कर्मवीर', 'ट्रिब्यून', 'प्रताप', 'हिन्द', 'राजस्थान', 'इंडियन डेलीमेल', 'विश्वामित्र', 'मिलाप', 'स्वतंत्र भारत', 'लोकमान्य', 'अर्जुन', 'रियासत', 'बाम्बे क्रानिकल', 'प्रिंसली इंडिया'* आदि समाचार– पत्रों के नाम उल्लेखनीय है।

इनमें *'अर्जुन,' 'प्रिंसली इंडिया'* आदि पत्र तो अदालत में प्रतिदिन की कार्यवाही तक प्रकाशित करवाते थे।[28]

10 अगस्त 1932 तक बाबू बृजकिशोर चतुर्वेदी की अदालत में मुकदमे की कार्यवाही होती रही। 10 अगस्त को जज ने यह मामला सेशन जज को सौंप दिये जाने का फैसला किया। पुलिस ने लक्ष्मीचन्द सुराणा को सरकारी गवाह बना लिया।[29] अतः उसे माफ कर दिया गया तथा शेष सभी अभियुक्तों पर बीकानेर हाईकोर्ट के जज डी.एन. नानावटी की अदालत में मुकदमा चला। इस अदालत की नियुक्ति विशेष रूप से सेशन अदालत के रूप में की गई थी।[30] सेशन कोर्ट में पहली पेशी 18 अगस्त 1932 को हुई। अब मुकदमे की कार्यवाही जेल में न होकर अदालत में होने लगी।

उधर समूचे देश की निगाहें इस मुदकमे पर लगी हुई थी। बम्बई में राजा गोविन्द लाल पित्ती की अध्यक्षता में राजस्थान के प्रतिष्ठित व्यक्तियों की एक सभा हुई जिसमें इस मुकदमे से निपटने के लिये 'बीकानेर पॉलिटिकल केस कमेटी' स्थापित करने का निश्चय किया गया।[31] समिति का मुख्य उद्देश्य अभियुक्तों के लिये आवश्यक सुविधाएँ जुटाना था। 27 अगस्त को इस समिति की सभा की गई और अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजापरिषद के अन्तर्गत व उसके सहयोग से कार्य करने का निश्चय किया गया।[32] अनेक मान्य वकीलों ने इस मुकदमे में पैरवी करने की इच्छा भी प्रकट की।[33] 23 सितम्बर को देशी राज्य प्रजा परिषद के अध्यक्ष नृसिंह चिन्तामणि ने बीकानेर शासक को अभियुक्तों की पैरवी के लिये बाहर से वकील नियुक्त करने की सलाह दी। बाहर से सुयोग्य वकील भेजने की व्यवस्था के लिये पी.एल. चूड़कर (राजकोट), रामेश्वर दास (सिरसा), डी.बी. भौंसले (पूना) आदि प्रतिष्ठित वकीलों की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई।[34]

1 अक्टूबर को बीकानेर षड्यंत्र केस के विरोध में बम्बई में चौपाटी पर *'बाम्बे क्रानिकल'* समाचार पत्र के संपादक बी.जी. हार्निमेन के सभापतित्व में विराट सार्वजनिक सभा हुई।[35] 27 अक्टूबर को बीकानेर के शासक के पास रामानन्द चटर्जी (संपादक–'माडर्न रिव्यू'), जमनालाल बजाज, नृसिंह चिन्तामणि, केलकर, प्रो. अभ्यंकर, चूड़कर आदि नेताओं ने अपने हस्ताक्षरों से युक्त तार में इस मुकदमे पर सहानुभूतिपूर्वक विचार का अनुरोध किया। किन्तु सरकार ने पुनः इस पर कोई ध्यान न दिया।[36] मुकदमा अपने ढंग से चलता रहा। जज ने सभी अभियुक्तों को 13 नवम्बर तक अपने–अपने लिखित बयान प्रस्तुत करने को कहा। अभियुक्तों ने बड़े लम्बे–लम्बे बयान प्रस्तुत किये, जो आज भी राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर में संबंधित मुकदमे की पत्रावलियों में उपलब्ध है। इनमें 500 पृष्ठों में तो केवल सत्यनारायण सर्राफ का सफाई का वक्तव्य है।

राज्य सरकार ने जब देश के प्रतिष्ठित नागरिकों और समाचार–पत्रों की अपील पर कोई ध्यान नहीं दिया, तो इस मुकदमे के प्रति जनमत को और अधिक जागृत करने के लिये देश के कोने–कोने से 'बीकानेर षड्यंत्र केस दिवस' मनाये जाने का निश्चय किया गया। अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद के महामंत्री ने 17 दिसम्बर के दिन 'बीकानेर षड्यंत्र केस दिवस' मनाने की अपील की और समूचे देश में स्थान–स्थान पर बीकानेर दिवस मनाया गया।[37] इस समय जयनारायण व्यास स्वयं बीकानेर आये और वस्तुस्थिति का अध्ययन कर 'बीकानेर षड्यंत्र केस' नामक एक पुस्तक प्रकाशित की जिसे उन्होंने देशभर के सभी बड़े नेताओं और समाचार संपादकों के पास भेजा। व्यास के इन प्रयत्नों के फलस्वरूप *'बाम्बे कानिकल'* के संपादक बी.जी. हार्निमेन, *'ट्रिब्यून'* के संपादक कालीनाथ राय और *'जन्मभूमि'* के संपादक अमृतलाल सेठ ने इस मुकदमे से संबंधित अपने पत्रों के विशेष प्रकाशन निकालें। महात्मा गाँधी और पं. जवाहर लाल नेहरू आदि अन्य बड़े नेताओं को भी इस मुकदमे से अवगत कराया गया।[38]

भारी आंदोलन के बाद अंततः 15 जनवरी 1934 को सेशन जज नानावटी ने इस मुकदमे का फैसला सुना दिया। इसके अनुसार विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत सत्यनारायण सर्राफ को 3 वर्ष, 1 वर्ष व 6 माह की सजा सुनाई गई। खूबराम सर्राफ, स्वामी गोपालदास व चन्दनमल बहड़ को भी उपरोक्त दफाओं के अन्तर्गत ही 2) वर्ष, 1 वर्ष व 6

माह की सजा सुनाई गई। बदरीप्रसाद सरावगी को भी उन्हीं दफाओं के तहत 2 वर्ष और 6 माह की कैद तथा प्यारेलाल व सोहनलाल को दफा 377 व 124 के अन्तर्गत क्रमशः 6–6 माह कैद की सजा सुनाई गई। फैसला सुनकर अभियुक्तों ने कोर्ट को धन्यवाद दिया और कोर्ट से जेल की तरफ जाते हुए 'वंदेमातरम्', 'महात्मा गाँधी की जय' व 'राजस्थान जिन्दाबाद' के नारे लगाते रहे।[39]

इस फैसले के प्रति रोष प्रकट करने के लिये स्थान–स्थान पर सभाएँ कर प्रबुद्ध नागरिकों ने मुकदमे में अन्याययुक्त प्रणाली काम में लेने और कठोर सजाएँ देने के विरोध में प्रस्ताव पास किये।[40] देश भर में प्रमुख समाचार–पत्रों में इसकी कड़ी आलोचना की गई। अमृतलाल सेठ ने कहा – ''इस अभियोग ने यह प्रमाणित कर दिया कि उनके यहाँ डंडा चलता है, करूणा नहीं। उनसे दया की प्रार्थना न करो, वे हृदयहीन है। यह केस बहुत ही ठीक समय पर चला। अन्यथा बीकानेर नरेश के थोथे प्रचार की कलई न खुल पाती। अब संपूर्ण विश्व जान गया कि बीकानेर नरेश की कथनी और करनी समन्वय से लाखों कोस दूर है।''

इस अभियोग के निपटारे के बाद भी राज्य का माहौल भययुक्त बना रहा। एक बार तो ऐसा लगने लगा था कि अब बीकानेर राज्य में स्वदेश–प्रेम का भयानक दुर्भिक्ष पड़ जायेगा। परन्तु रियासती जुल्मों के काले बादल स्वातन्त्र्य–सूर्य की तीष्णता से अनुप्राणित जनभावनाओं को कैसे रोक सकते थे। अपितु इस कार्य ने तो उन्हें और अधिक प्रोत्साहित किया और वे दुगुने उत्साह के साथ लक्ष्य प्राप्ति के संघर्ष में पुनः जुट गये।

इस प्रकार श्रीसर्वहितकारिणी सभा के प्रयासों से बीकानेर राज्य की जनता में आई जागृति ने उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन की धारा से सीधे जोड़ दिया। उभरती राष्ट्रीय चेतना से जनभावनाओं ने संगठित रुख अख्तियार कर आजादी के लिये जंग आरम्भ कर दी। बीकानेर महाराजा का दमनचक्र भी इन क्रांतिकारियों के जोश का पार न पा सका। अपितु इन स्वातन्त्र्य–प्रेमियों ने प्रशासन की दोगली नीति को सबके सामने लाकर रख दिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के अवसर पर वितरित 'बीकानेर दिग्दर्शन' पुस्तिका ने शासन की धज्जियाँ उड़ा दी। अपने राज्य को राम–राज्य बताने वाले आदर्शवादी महाराजा गंगासिंह इस गुस्ताखी को सहन न कर सके और उन्होंने कार्यकर्त्ताओं को सबक देने की ठान ली। राज्य के प्रमुख नेताओं जिनमें श्रीसर्वहितकारिणी सभा के कार्यकर्त्ता मुख्य थे, को गिरफ्तार कर उन पर 'बीकानेर षड्यंत्र केस' चलाया गया। देशभर में इस मुकदमे के प्रति सद्भावना के बावजूद बीकानेर महाराजा के कान पर जूं तक न रेंगी। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर के कई नेताओं की सलाह की अवमानना करते हुए भी मुजरिमों को कठोर से कठोरतम सजाएँ दी। परन्तु स्वतंत्रता–संघर्ष में जुटे नायकों का मनोबल इस दमन से टूटने की बजाय ओर अधिक दृढ़ हुआ। राष्ट्रीय स्तर पर मिले सहयोग व समर्थन ने ओर बीकानेर राज्य के संघर्ष को राष्ट्रीय स्तर पर उजागर किया। अब यह संघर्ष सम्पूर्ण जनता का था, जिसे हम संघर्ष के अगले चरण में व्यापक जन भागीदारिता के रूप में प्रतिफलित होते देखते हैं।

***शोधार्थी**
****सह आचार्य**
भारतीय इतिहास एवं संस्कृति विभाग,
राजस्थान विश्वविद्यालय (जयपुर)

सन्दर्भ :–

1. पट्टाभि सीतारमैया : *संक्षिप्त कांग्रेस का इतिहास,* पद्मा पब्लिशर्स, बंबई, 1946, पृष्ठ 149–152
2. (प) दाऊदयाल आचार्य : *भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बीकानेर का योगदान,* चेतना प्रकाशन, बीकानेर, 1997, पृष्ठ 28

(पप) रामप्रसाद व्यासः *राजस्थान के लोकनायक जयनारायण व्यास,* राजस्थानी साहित्य संस्थान, जोधपुर, 1998, पृष्ठ 251

3. रामदत्त सांकृत्य : *चूरू व उसकी आजादी की लड़ाइयाँ (पाण्डुलिपि),* पृष्ठ 148
4. राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर : *होम डिपार्टमेंट, बीकानेर (गोपनीय), सन् 1992, फाइल नं. सी–13,* पृष्ठ 2–5
5. इस तथाकथित 'रामराज्य' पर टिप्पणी करते हुए प्रसिद्ध समाजवादी नेता डॉ. राममनोहर लोहिया (जोकि स्वयं चूरू के वासी एवं भुक्तभोगी हैं) का कहना है कि ''जब परमात्मा ने भारतवर्ष का निर्माण किया तो बचा हुआ कूड़ा–करकट राजस्थान में फेंक दिया। बीकानेर की स्थिति को देखकर इस कथन की सत्यता में विश्वास करने को विवश होना पड़ता है।

   मनोहर कोठारीः *भारत के स्वतन्त्रता संग्राम में राजस्थान,* राजस्थान स्वर्ण जयंती प्रकाशन समिति, अक्टूबर 2003, पृष्ठ 390
6. रामदत्त सांकृत्यः पूर्वोक्त, पृष्ठ 149
7. बाद में अमृतलाल सेठ (संपादक *'त्यागभूमि'*) ने स्वीकारा कि यह पुस्तिका उन्होंने स्वयं तैयार की है , जिसमें तथ्यों का अभाव है क्योंकि चूरू की स्थिति का सही आंकलन वहाँ के स्थानीय कार्यकर्त्ता ही कर सकते थे।
8. राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेरः *होम डिपार्टमेंट, बीकानेर (गोपनीय), सन् 1932, फाइल नं. सी–13,* पृष्ठ 2–5
9. इंग्लैण्ड में इस पुस्तिका की 200 प्रतियाँ साइक्लोस्टाइल करवाकर वितरित की गई।
10. राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर : होम डिपार्टमेंट, बीकानेर (गोपनीय), सन् 1932, फाइल नं. सी–13, पृष्ठ 2–5
11. गोविन्द अग्रवाल : *पत्रों के प्रकाश में स्वामी गोपालदास का व्यक्तित्त्व एवं कृतित्त्व*, नगरश्री, चूरू, 1968, पृष्ठ 204
12. रामदत्त सांकृत्य : पूर्वोक्त, पृष्ठ 150
13. दाऊदयाल आचार्य : पूर्वोक्त, पृष्ठ 29
14. रामदत्त सांकृत्य : पूर्वोक्त, पृष्ठ 150–51
15. अत्यधिक टैक्स लगाने के कारण महाराजा गंगासिंह का 'सर टैक्ससिंह बहादुर' नामक कार्टून *'रियासत'* में छपा था। राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर : *होम डिपार्टमेंट, बीकानेर (गोपनीय), सन 1932, फाइल नं. 55*
16. वही
17. राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर : *होम डिपार्टमेंट, बीकानेर (गोपनीय), सन् 1932, फाइल नं. सी–3,* पृष्ठ 7
18. राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर : *बीकानेर रिकार्डस् : बीकानेर प्रेस कटिंग फाइल, 1932, फाइल नं. 131*, पृष्ठ 16
19. वही

20. राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर : *बीकानेर रिकार्ड्स, सहादत गवाहान बयान तहरीरी पेशकरदा मुलजिमान दिनांक 24.11.1933, पृष्ठ 1644/1–14, मिसल कागजात वजह सबूत गोपालदास नं. क्रमांक–11*
21. चेतना मुद्‌गल : *बीकानेर में जन–आंदोलन*, रचना प्रकाशन, जयपुर, 1999, पृष्ठ 39
22. रामदत्त सांकृत्य : पूर्वोक्त, पृष्ठ 154
23. भगवानदास केला : *देशी राज्यों में जनजागृति,* भारतीय ग्रंथमाला, इलाहाबाद, 1948, पृष्ठ 204
24. दाऊदयाल आचार्य : पूर्वोक्त, पृष्ठ 32
25. भगवानदास केला : पूर्वोक्त, पृष्ठ 205
26. गोविन्द अग्रवाल : पूर्वोक्त, पृष्ठ 205
27. के.एम. पन्निकर : *हिज हाइनेस द महाराजा ऑफ बीकानेर,* आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, लंदन, 1937, पृष्ठ 8
28. राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर : *बीकानेर रिकार्ड्स, बीकानेर प्रेस कटिंग फाइल, 1932, फाइल नं. 131*
29. भगवानदास केला : पूर्वोक्त, पृष्ठ 204
30. सत्यदेव विद्यालंकार : *धुन के धनी,* मारवाड़ी प्रकाशन, नई दिल्ली, 1968, पृष्ठ 32
31. राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर : *बीकानेर रिकार्ड्स, बीकानेर प्रेस कटिंग फाइल, 1933, फाइल नं. 62 ('अर्जुन',* 3 जून 1933)
32. भगवानदास केला : पूर्वोक्त, पृष्ठ 204
33. राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर : *बीकानेर रिकार्ड्स, बीकानेर प्रेस कटिंग फाइल, 1933, फाइल नं. 62 ('अर्जुन',* 3 जून 1933)
34. वही
35. *'अर्जुन',* 10 नवम्बर 1933
36. *'लोकमान्य',* 24 दिसम्बर 1933
37. यह दिवस कलकत्ता में प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्रभुदयाल हिम्मतसिंह (मूलतः खेतड़ी) के सभापतित्त्व में मनाया गया। वहीं बम्बई में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद् की ओर से सार्वजनिक 'बीकानेर दिवस' मनाया गया। बम्बई में ही अमृतलाल सेठ के सभापतित्त्व में, ब्यावर में नित्यानंद नागर व जयनारायण व्यास के सान्निध्य में और अजमेर में इसे वैद्यराज कल्याणसिंह की अध्यक्षता में मनाया गया।
38. सत्यदेव विद्यालंकार : पूर्वोक्त, पृष्ठ 183–84
39. राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर : *बीकानेर रिकार्ड्स, बीकानेर प्रेस कटिंग फाइल, 1934, फाइल नं. 15* ('लोकमान्य' 26 जनवरी 1934, 'अर्जुन' 21 जनवरी 1934)
40. चेतना मुद्‌गल : पूर्वोक्त, पृष्ठ 45